रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3672] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941
No. 3672] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2019

का.आ. 4085(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1), और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है; एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल पते : menong@cag.gov.in और sharath.kr@gov.in पर भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत का.आ. 1533 दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (जिसे आगे से ईआइए अधिसूचना, 2006 कहा जाएगा), जो इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विकासात्मक परियोजनाओं या कार्यकलापों को विनियमित करती है, पर्यावरणीय पूर्वानुमति से कार्यान्वित किए जाएंगे। पर्यावरणीय प्रक्रिया में चार चरण नामत: जांच, विस्तारण, जन परामर्श; और मूल्यांकन संलिप्त हैं। विस्तारण, उस परियोजना या कार्यकलाप, जिसके लिए पर्यावरणीय अनुमति मांगी जाती है, के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव

मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी के लिए सभी संबंधित पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करने वाले विस्तृत तथा व्यापक विचारार्थ विषयों (टीओआर) का निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है।

विस्तारण की प्रक्रिया को सहज बनाने और एक मानक प्रचालन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तावों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 39 परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषय तैयार किए हैं। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति हरित क्षेत्र परियोजनाओं या कार्यकलापों के मामले में प्रस्तावित वैकल्पिक स्थलों की जांच के अतिरिक्त परियोजना विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त विचारार्थ विषयों को संशोधित, निर्धारित कर सकती है;

और ऐसे प्रस्तावों, जिनमें वैकल्पिक स्थलों की जांच संलिप्त न हो, के लिए मानक विचारार्थ विषयों को प्रदान करने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए मंत्रालय विस्तार परियोजनाओं और प्रपत्र-1 में प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अधिसूचित औद्योगिक संपदा के अंदर स्थित परियोजनाओं के संबंध में एक ऑन-लाइन मानक विचारार्थ विषय बनाने की संकल्पना की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता है, जिसे परियोजना प्रस्तावक को मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल के माध्यम से स्वत: जारी किया जाएगा;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

चरण (2) - विस्तारण से संबंधित उप-पैराग्राफ II, पैराग्राफ 7 के खंड (i) में, निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

II. चरण (2) - विस्तारण :

(1) "विस्तारण" का अर्थ परियोजना अथवा कार्यकलाप, जिसके लिए पर्यावरणीय पूर्वानुमति मांगी जाती है, के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी संबंधित पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करने वाले विस्तृत और व्यापक विचारार्थ विषय का निर्धारण करने की प्रक्रिया है।

(2) अनुसूची की श्रेणी "ख2" के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं होगा।

(3) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विकसित क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषयों को इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(4) आवेदन की स्वीकृति पर, इसकी प्राप्ति के सात दिनों के अंदर, मानक विचारार्थ विषय विनियामक प्राधिकरण द्वारा ईएसी/एसईएसी, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित किए बिना निम्नलिखित परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए स्वत: जारी हो जाएगा :

(क) अनुसूची की मद 7(च) के सामने कॉलम (3) और (4) की प्रविष्टि (i) और (ii) के अंतर्गत शामिल सीमावर्ती राज्यों में सभी राजमार्ग परियोजनाएं;

(ख) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं अथवा उद्यानों (अनुसूची की मद 7(ग)) में स्थित प्रस्तावित सभी परियोजनाएं अथवा कार्यकलाप, और जिनके लिए ऐसे अनुमोदनों की अनुमति नहीं है;

(ग) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार के सभी प्रस्ताव जिन्हें पूर्व में पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो।

परंतु यह कि ईएसी या एसईएसी आवेदन की स्वीकृति से 30 दिनों के अंदर परियोजना या कार्यकलाप के लिए मानक टीओआर के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश कर सकती हैं।

(5) मानक टीओआर के अतिरिक्त, विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश करने के लिए यदि आवश्यक हो तो, आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (4) में विनिर्दिष्ट के अलावा सभी नई परियोजनाएं और कार्यकलाप मंत्रालय या एसईआइएए द्वारा ईएसी या एसईएसी को, जैसा भी मामला हो संदर्भित किए जाएंगे। यदि विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र-। में आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर ईएसी/एसईएसी को संदर्भित नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के अंदर क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर को ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

(6) विचारार्थ विषय के लिए आवेदनों को संबंधित ईएसी या एसईएसी की सिफारिशों पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा इसी अवस्था में अस्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी अस्वीकृति के मामले में, समुचित व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात इसके लिए कारणों सहित निर्णय की सूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर लिखित में दी जाएगी।

(7) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर के साथ-साथ ईएसी/एसईएसी द्वारा अनुबंधित अतिरिक्त टीओआर यदि कोई हो, के आधार पर ईआइए/ईएमपी तैयार किया जाएगा।

(8) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए जारी विचारार्थ विषय की वैधता जारी होने के तारीख से 4 (चार) वर्षों की होगी। नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं की वैधता 5 वर्षों की होगी।

[फा. सं. 22-1/2019-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2019

S.O. 4085(E).—Whereas, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at menong@cag.gov.in and sharath.kr@gov.in

Draft Notification

Whereas, the Environment Impact Assessment Notification *vide* S.O. 1533 dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, which regulates developmental projects or activities listed in the Schedule to the Notification and shall be undertaken with prior environmental clearance. The environmental clearance process involves four stages namely, Screening; scoping; public consultation; and appraisal. The scoping is the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment/Environment Management Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought.

In order to streamline the process of scoping and bring the uniformity across the proposals, as a standard operating procedure, the ministry has developed sector specific Standard Terms of References for all 39 projects/activities listed in the schedule to the notification. The Expert Appraisal Committee can modify, prescribe additional ToR based on the project specific requirements in addition to the examination of alternative sites proposed in case of green field projects or activities;

And whereas, to expedite the process of granting standard Terms of Reference (ToR) for the Expansion proposals where there is no examination of alternative sites involved, the Ministry proposes to introduce the concept of generation of an online Standard Terms of Reference (ToR) for expansion projects and in respect of projects located within notified Industrial Estates after acceptance of the proposal in Form-1, to be issued automatically through the web portal developed by the ministry to the Project Proponent;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:—

The sub-paragraph II relating to Stage (2)-scoping, in clause (i) of paragraph 7, the following provisions shall be substituted, namely

II. Stage (2)-Scoping:

(1) "Scoping" refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment /Environment Management Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought

(2) All projects or activities listed under Category "B2" of the schedule shall not require Scoping.

(3) Sector specific Standard Terms of References developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time shall be displayed on its website.

(4) On acceptance of the application, within 7 working days of its receipt, the Standard Terms of References shall be automatically issued to the following projects or activities, without referring to EAC/SEAC by the regulatory authority, as the case may be:

(a) All Highway projects in Border States covered under entry (i) and (ii) of column (3) and (4) against item 7(f) of the Schedule.

(b) All projects or activities proposed to be located in industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.

(c) All expansion proposals of existing projects having earlier environmental clearance.

Provided that EAC or SEAC may recommend specific Terms of Reference to the in addition to the Standard ToRs, if found necessary, for a project or activity within 30 days from the acceptance of application.

(5) All new projects or activities other than specified in sub-paragraph (4) above, shall be referred to the EAC or SEAC, by the Ministry or SEIAA, as the case may be, within 30 days from the date of application, for recommending the specific Terms of Reference in addition to the Standard ToRs, if found necessary. In case, the regulatory authority does not refer to the EAC/SEAC within 30 days of date of application in Form-I, sector specific Standard ToR shall be issued, online, on the 30th day, by the regulatory authority.

(6) Applications for Terms of Reference may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same after due personal hearing shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

(7) The project proponent shall prepare the EIA/EMP based on the sector specific Standard ToRs as well as additional ToRs, if any, stipulated by the EAC/SEAC.

(8) The Terms of Reference for the projects or activities except for River valley and Hydro-electric projects, issued by the regulatory authority concerned shall have the validity of 4 (four) years from the date of issue. In case of the River valley and Hydro-electric projects the validity will be for 5 years.

[F. No. 22-1/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.